संख्या- 1233/X-2-2011-9(6)/2006

प्रेषक,

एम0एच0 खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजना एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 15 जून, 2011

विषयः- अनुदान सं0-27 में राज्य सेक्टर के आयोजनागत पूंजीगत पक्ष की ''वन मोटर मार्गों का सुदृढ़ीकरण'' योजना में ''लालढांग-चिलरखाल वन मोटर मार्ग एवं डबल लेन, आर.सी.सी. सेतु निर्माण'' हेतु वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं आपके पत्रांक नि-1621/3-9(1) दिनांक 13 मई, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-27 की आयोजनागत पूंजीगत पक्ष की **''वन मोटर मार्गों का सुदृढ़ीकरण''** योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में **''जनपद पौड़ी गढ़वाल में लालढांग-चिलरखाल मोटर मार्ग एवं डबल लेन आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण''** कार्य हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये विस्तृत आगणन के परिक्षणोंपरान्त (परिक्षित आगणन की छाया प्रति संलग्न) ₹574.54 लाख की लागत पर वित्तीय एवं प्रशासकी स्वीकृति सहित प्रथम किश्त में **₹ 2,50,00,000/- (₹ दो करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(2) उक्त मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा फॉरेस्ट डिपॉजिट के रूप में शासनादेश सं0-2454/III-2/05-07 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28.10.2005 से 13 कि0मी0 मार्ग के लिए प्रारम्भिक आगणन आधार पर निर्गत स्वीकृति ₹190.45 लाख का कियान्वयन कतिपय कारणों से नही हो पाने के कारण कालान्तर में मात्र 3.25 कि0मी0 लम्बाई हेतु कतिपय कार्यों को सम्मिलित करते हुए कार्य का कियान्वयन किया जा रहा है. तद्नुसार पूर्वोक्त स्वीकृति दिनांक 28.10.2005 को नई कार्योत्तर स्वीकृति से प्रतिस्थापित किया जाय. इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 से कार्यवाही हेतु अपेक्षा की जाय. साथ ही बीना शासन से संशोधित स्वीकृति निर्गत कराये विस्तृत आगणन स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण भी किया जाय.

(3) उक्त स्वीकृति व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारण प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(6) अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

क्रमश :2

(7) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(8) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

(9) जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

(10) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(12) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(13) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी)4 की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

(14) यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन भी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अगली वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी, जबकि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट अर्थात योजना कब प्रारम्भ की गई, कितने वर्षों के लिए योजना है, योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कितना है तथा लक्षित योजना के सापेक्ष कितना भौतिक लक्ष्य अभी प्राप्त हो चुका है एवं कितना शेष है, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह भी कि गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्गत की गई समस्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा.

(15) योजना में अग्रेत्तर वित्तीय स्वीकृति/धनराशि अवमुक्त तभी की जायेगी जब सम्पूर्ण परियोजना/कार्ययोजना मय योजना अवधि, कुल लागत, वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, outcome/impact के लक्ष्य/अनुमान, चयनित कार्यों का विवरण आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट/प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो.

(16) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा.

(17) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी.

(18) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए.

(19) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय.

(20) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें.

(21) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए.

(22) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय.

(23) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें.

(24) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

क्रमशः 3

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 101-वन संरक्षण और विकास 03-''**वन मोटर मार्गों का सुदृढ़ीकरण**'' 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-72(P)/XXVII(1)/2011, दिनांक 13 जून, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(एम0एच0 खान)
सचिव

संख्या-1233 (1)/X-2-2011, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
8. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार.
13. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
14. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, देहरादून.
15. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव